सं० फा० 2(9)-ई-III/61

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून 1970.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पदोन्नति होने पर अथवा उच्चतर पद पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन का विनियमन - कम से कम एक वेतनवृद्धि का लाभ - इस सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें।

--

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 15 मई 1961 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन की ओर आपका ध्यान दिलाने का मुझे निदेश हुआ है।

2. एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उपर्युक्त आदेशों में निहित व्यवस्था एक असंवर्गीय पद से दूसरे असंवर्गीय पद पर नियुक्ति/पदोन्नति होने के मामलों में लागू होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आदेश, केवल सरकारी कर्मचारी की उसके मूल विभाग से असंवर्गीय पद पर नियुक्ति होने की हालत में लागू होते हैं। एक असंवर्गीय पद से दूसरे असंवर्गीय पद पर नियुक्ति/पदोन्नति होने के मामलों में जब कर्मचारी दूसरे असंवर्गीय पद के वेतनमान में वेतन पाने का विकल्प चुनता है तो दूसरे अथवा परवर्ती असंवर्गीय पद में केवल संवर्गीय पद के वेतन के सन्दर्भ में सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही वेतन नियत किया जाना चाहिये। परन्तु, असंवर्गीय पदों पर नियुक्तियों के मामले में, जिनके वेतन मान उन असंवर्गीय पदों के वेतनमान के सरूप हों, जिन पर पूर्ववर्ती मौकों पर कर्मचारी की नियुक्ति रही हो तो मूल नियम 22 के उपबन्ध 1(iii) का लाभ दिया जासकता है।

3. यदि कोई ऐसे मामले हैं जिनमें इन आदेशों के प्रतिकूल निर्णय किया गया

(कृ० पृ० उ०)

हों तो उनकी पुन: समीक्षा करके इन आदेशों के जारी होने की तारीख से असवर्गीय पद के वेतन को सही तौर से विनियममित किया जाय ।

4. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये जा रहे हैं ।

x x x

(पी0 एस0 परशुराम)
उपसचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय|विभाग आदि.

फा0 2(9)-ई III|61

प्रतिलिपि

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 140 प्रतियों के साथ सभी महालेखाकारों में वितरण के लिये ।

व्यय विभाग में सभी व्यय शाखाओं को

(पी0 एस0 परशुराम)
उपसचिव भारत सरकार.

(प, शु, ब)